UPJL010020832026

Presented on : 20-04-2026
Registered on : 21-04-2026
Decided on : 16-06-2026
Duration : 0 years, 1 months, 26 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Bail Application/200075/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।

सम्बन्धित नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं0–75/2026

1. अहमद मंसूरी उर्फ शेर खॉ आयु करीब 30वर्ष पुत्र मोहम्मद अहमद उर्फ इदू निवासी ग्राम लहरा थाना कुरारा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश।

.............(आवेदक/अभियुक्त)

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश .... (लोक अभियोजक)

मुकदमा अपराध संख्या 159/2025
एस0एस0टी0 संख्या 24/2026
धारा–352, 351(2), बी0एन0एस0
धारा 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना कदौरा, जिला जालौन।

दिनांक–16.06.2026

आवेदक/अभियुक्त अहमद मन्सूरी उर्फ शेर खॉ की ओर से एस0एस0टी0 संख्या 24/2026 धारा–352, 351(2), बी0एन0एस0 धारा 3(2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कदौरा, जिला जालौन के प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम जमानत आदेश दिनांकित 06.06.2026 के अनुपालन में आत्मसमपर्ण करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त आज की तिथि तक अंतरिम जमानत पर हैं।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा प्रभा देवी द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 16.10.2025 को वह कदौरा बस स्टैण्ड पर बस का इंतजार कर रही थी, उसी समय अहमद मंसूरी तथा तीन लोग अज्ञात आये और वादिनी के साथ बदतमीजी करने लगे, विरोध करने पर भददी भददी व जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त व तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र उपरोक्त धाराओं के तहत न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।

जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वह पूर्णतः निर्दोष हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी जाति सूचक गाली का कोई उल्लेख नहीं किया गया है घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास कतई नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त प्रकरण में लगायी गयी समस्त धारायें 7 वर्ष से कम अवधि के दण्ड से दण्डित करने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अण्टिल बनाम ब्यूरों आफ इन्वेस्टीगेशन में पारित दिशा निर्देश के आधार पर प्रार्थीगण जमानत पाने के अधिकारी है। अतः दौरान मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.06.17 12:44:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर वादिनी के साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। धारा 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को छोड़कर शेष सभी धाराएं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियुक्त अंतरिम जमानत पर था, तथा उसके द्वारा अंतरिम जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस स्तर पर उसे सशर्त जमानत दिये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अहमद मन्सूरी उर्फ शेर खॉ की ओर से एस0एस0टी0 संख्या 24/2026 धारा–352, 351(2), बी0एन0एस0 धारा 3(2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कदौरा, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उसके द्वारा मुव0 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि :–

1– अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा व अभियोजन साक्षियों को डराया या धमकाया नहीं जायेगा और न ही अभियोजन साक्ष्यों के साथ कोई छेड़–छाड़ करेगा।

2–न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और विचारण में सहयोग प्रदान करेगा।

दिनांकः–16.06.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2414,